FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त सहायक कलक्टर श्री ... मुकाम बायतु

नेमीचन्द कौर ... बनाम इन्द्रारामजाट

...स्म मुकदमा 111,128 ... नं. 29/2020 सन् ...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2020	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री नरपतसिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17.03.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील रसीद तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 10/06/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/06/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इलाका होकर आगामी दिनांक 27/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती ... बहस पत्रावली दिनांक 10/11/2020 ... (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested

10/11/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी।
प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थी
गणों के खातेदारी खेत लेना देना आये हुए हैं।
प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी
माटे व कटी आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों
की वजह से बिखर गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने
खेत के सेटों का सही ज्ञान नहीं हो पाता है प्रार्थी
व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेटों को लेकर
हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत
के सेटों का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी
आवश्यक है जिसमें तहसीलदार बायतु सक्षम रहे।
इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया
जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावे।
अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया
जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित
भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं
या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की
पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर
करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

(signature)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय ... /2020/345
दर्ज संख्या – 29/2020
प्रार्थीगण
श्री केसरचन्द पुत्र लादूराम
जगरा
प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद / 2020 / 945
आवेदन संख्या – 29 / 2020

दिनांकः– 10/11/2020

प्रार्थीगण — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

श्री नेमीचन्द पुत्र लाधूराम वगैरा — श्री पूराराम पुत्र भोपाराम वगैरा 40

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

संशोधित आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–बायतु चिमनजी, पटवार मण्डल– बायतु चिमनजी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1055/854 रकबा 51.09 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 10/11/2020

क्रमांक/वाद/2019/946-950
प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री नेमीचन्द पुत्र लाधूराम वगैरा ।
4. विप्रार्थीगण श्री पूराराम पुत्र भोपाराम वगैरा 40।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested